एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

व्यापार आचरण एवं आचार संहिता

(निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु)

(संस्करण 5.0)

'मूल संदेश सरल है: एनएचपीसी परिवार होने का अर्थ है, नैतिक व्यापार के उच्चतम संभव मानकों को प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहना। यह एक अति व्यवहारिक तथा नीतिगत मामला है; एनएचपीसी ऐसे व्यक्तियों को नियोजित करता है जो अपने अथक प्रयास से परियोजनाओं को समय पर/निर्धारित कार्यक्रम से पहले निष्पादित करने तथा जल विद्युत के दक्ष उत्पादन हेतु कार्य करते हैं, परन्तु अभी तक इसकी सबसे मूल्यवान परिसंपत्ति एक ऐसी कंपनी के रूप में छवि को तैयार करना है, जो विश्वास तथा भरोसे को बढावा देती है। यह विश्वास ही वह आधार है जिस पर संगठन की सफलता और समृद्धि निर्भर करती है तथा इसे एनएचपीसी के प्रत्येक कर्मी प्रत्येक दिन, हर तरीके से, पुनःअर्जित करता है।

1. <u>प्रस्तावना</u>

1.1 यह आचार संहिता (जिसे एतद्पश्चात **'संहिता'** कहा गया है) को एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे एतद्पश्चात **'कंपनी'** कहा गया है) के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु आचार संहिता ' कही जाएगी।

1.2 इस संहिता का प्रयोजन कंपनी के कार्यों के प्रबंधन में नैतिक तथा पारदर्शी प्रक्रिया में वृद्धि करने और इस तरह से कंपनी के शेयरधारकों द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों में किए गए विश्वास तथा भरोसे को निरंतर बनाए रखना है। निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से यह आशा की जाती है कि वे इस संहिता और उसमें निर्धारित मानकों को समझे, और इस पर दृढ़ रहते हुए अनुपालन करें तथा उन्हें अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में दिये गए प्रावधानों को अपनाए।

1.3 संहिता में यह परिकल्पना की गई है कि, कंपनी का निदेशक मंडल **('बोर्ड')** और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रदत्त प्राधिकारों की सीमाओं तथा लागू कानूनों के भीतर कंपनी की अपेक्षाओं के अनुपालन और कर्तव्य के भीतर कार्य करें।

1.4 इस संहिता में विहित सिद्धांत सामान्य प्रकृति के हैं और सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 [सेबी एलओडीआर] और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश, 2010 [डीपीई सीजी दिशानिर्देश] का अपेक्षानुसार अनुपालन और नैतिकता के व्यापक मानक निर्धारित किए गए है।

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

1.5 वर्तमान में, कंपनी में आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली **('सीडीए नियमावली')** लागू है जो पूर्णकालिक निदेशकों सहित सभी कार्मिकों के आचरण को शासित करती है,परन्तु इसमें अंशकालिक निदेशकों और औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के तहत स्थायी आदेशों द्वारा शासित लोग शामिल नहीं है। इस संहिता को अब विशिष्ट रूप से सेबी एलओडीआर और डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में बनाया गया है। कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के संबंध में इस संहिता को सीडीए नियमावली के साथ पढ़ा जाए।

1.6 यह संशोधित संहिता निदेशक मंडल के अनुमोदन की तारीख अर्थात **18.01.2025** से प्रभावी हो गई है।

1.7 पावती प्रपत्र **(परिशिष्ट-III)** उन लोगों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है, जिन पर यह संहिता लागू है, और हस्ताक्षर करने के बाद कंपनी सचिव को लौटाएंगे जिसमें यह दर्शाया गया होगा कि उन्होंने संहिता को प्राप्त किया पढ़ लिया है तथा वे उसके अनुपालन के लिए सहमत हैं। कंपनी सचिव को वार्षिक आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर, **परिशिष्ट II** के रूप में इसके साथ संलग्न प्रपत्र में इस संहिता के अनुपालन की पुष्टि अपेक्षित है।

1.8 इस संहिता को कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) एवं किसी अन्य विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी समय-समय पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ किसी अधिसूचना, विनियमन, आदेश, परिपत्र, दिशा-निर्देशों इत्यादि के साथ पढा जाएगा।

2. परिभाषाएं एवं व्याख्या

2.1 इस संहिता में जब तक अर्थ अथवा संदर्भ में कुछ अन्यथा अपेक्षित न हो, इस संहिता में कहीं पर भी प्रयोग किए जाने पर निम्नलिखित अभिव्यक्तियों का अर्थ नीचे दिए गए अर्थ के अनुसार होगा–

I. **'बोर्ड'** का अर्थ कंपनी का निदेशक मंडल होगा।

II. **'बोर्ड सदस्य'** का अर्थ कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से होगा।

III. **'कंपनी'** का अर्थ एनएचपीसी लिमिटेड से होगा।

IV. **'हितों का विरोध'** का अर्थ जहां किसी व्यक्ति अथवा निकाय के हित या लाभ कंपनी के हितों अथवा लाभों के परस्पर विरोधी हों।

V. **'सरकार'** का अर्थ भारत सरकार से होगा।

VI. **"स्वतंत्र निदेशक"** का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(47) और सेबी एलओडीआर के विनियम 16(1)(ख) में दिया गया है।

VII. **"प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)"** का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(51) के तहत परिभाषित है।

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

VIII. **"अंशकालिक निदेशकों"** का अर्थ होगा बोर्ड के सदस्य जो कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं हैं और इसमें स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

IX. **"नातेदार"** का वही अर्थ होगा जो कंपनी (परिभाषा विवरण की विशिष्टता) नियमावली, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) में दिया गया है, और जिसे विशेष रूप से **परिशिष्ट- I** में विस्तृत रूप से दिया गया है।

X. **"वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक"** का अर्थ होगा, निदेशक मंडल को छोड़कर कंपनी के वे अधिकारी/ कार्मिक जो इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं और सामान्यतः इसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी/प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक से एक स्तर नीचे प्रबंधन के सभी सदस्य और विशेष रूप से कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी इसमें शामिल होंगे । इसमें सभी कार्यपालक निदेशक, समूह महाप्रबंधक/महाप्रबंधक और परियोजनाओं/पावर स्टेशनों के प्रमुख शामिल होंगे।

XI. **'पूर्णकालिक निदेशक'** का अर्थ होगा बोर्ड उनके सदस्यों से होगा जो कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में है ।

2.2 इस संहिता में पुल्लिंग का आशय होने वाले शब्दों में स्त्रीलिंग और एक वचन दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन अथवा उसके विपरीत शामिल होंगे ।

3. प्रयोजनीयता

(i) पूर्णकालिक निदेशक

(ii) स्वतंत्र निदेशकों सहित अंशकालिक निदेशक जब तक कि भारत सरकार द्वारा कुछ प्रावधानों में विशिष्ट रूप से छूट न दी गई हो ।

(iii) वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

4. नैतिक आचरण

प्रत्येक बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक उसे कंपनी प्रदत्त प्राधिकार तथा लागू होने वाले कानूनों के अंतर्गत कंपनी के श्रेष्ठ हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करेंगे और –

(1) **ईमानदार और भरोसेमंद बनें और सत्यनिष्ठा, व्यावसायिकता, अत्यंत सावधानी, कौशल, परिश्रम, सद्भावना और सत्यनिष्ठा का व्यवहार करें:** सत्यनिष्ठा और ईमानदारी भरोसे के आवश्यक घटक हैं। विश्वास के बिना कोई संगठन प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता है । अधिकारी को उच्च नैतिक और नैतिक मानकों के साथ कार्य करना चाहिए ।

(2) अपने निर्णय की स्वतंत्रता से समझौता किए बिना अपने प्रत्ययी दायित्वों को पूरा करें;

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

(3) उचित तथा पारदर्शी रूप से कार्य करेगा और ऐसी किसी विषय-वस्तु पर निर्णय लेने की किसी प्रक्रिया में प्रतिभागिता नहीं करेगा जहां हितों का विरोध हो अथवा विरोध विद्यमान होने की संभावना हो जिससे कि कंपनी के श्रेष्ठ हितों के लिए स्वतंत्र निर्णय न लिया जा सके;

(4) बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के सिवाय; (क) अपने किसी संबंधी अथवा (ख) कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें वह अथवा उसका संबंधी एक सदस्य अथवा निदेशक हों (ग) कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें उसके अथवा उसके किसी संबंधी के 2 प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर या मताधिकार हों और (घ) ऐसी कोई फर्म जिसमें उसका संबंधी कोई भागीदार हो, उस से व्यापार करने से बचेगा,

(5) कंपनी से संबंधित किसी व्यापार कारोबार में कोई व्यक्तिगत और/अथवा वित्तीय हित होने से बचें;

(6) ऐसे किसी व्यक्ति के साथ व्यापार, संबंध अथवा क्रियाकलाप में शामिल न हों जो कंपनी के साथ कारोबार करने वाला पक्ष हो;

(7) ऐसे किसी संविदाकार अथवा आपूर्तिकर्ता से कार्य व्यवहार से बचें जो व्यावसायिक, गैर-पक्षपाती तथा प्रतिस्पर्धी आधार पर व्यापार करने की क्षमता से समझौता करता हो अथवा कंपनी द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रभावित करता हो;

(8) कंपनी के हितों के विपरीत होने वाले अन्य व्यापारों में कोई पद अथवा रोजगार अथवा नियोजन या हित को नहीं रखना;

(9) अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन अवसरों का उपयोग न करना जिन्हें कारपोरेट संपत्ति, सूचना अथवा पद का उपयोग करके प्राप्त किया गया है, जब तक कि अवसर पूर्णत: लिखित रूप से बोर्ड को प्रकट न किया जाए और बोर्ड ऐसे अवसर को प्राप्त करने के लिए इंकार कर दे;

(10) प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी उपहार, अवैध भुगतान, पारिश्रमिक, चंदे अथवा तुलनीय लाभ को मांगना, स्वीकार करना अथवा उसके लिए पेशकश न करना, जोकि सीडीए नियमों के अंतर्गत प्रावधानों के अतिरिक्त, व्यापार के संचालन हेतु व्यापार अथवा गैर-प्रतिस्पर्धी पक्षपात को प्राप्त करने की मंशा अथवा कल्पना वाले होते हैं ;

(11) नैतिक चरित्रहीनता से अंतर्ग्रस्त होने वाले अथवा कानून के विपरीत या लोक नीति के विरूद्ध होने वाले किसी अपराध को न करना ;

(12) समानता, सहिष्णुता, दूसरों के प्रति सम्मान के मूल्यों और समानता एवं न्याय के सिद्धांतों के मान को बनाए रखने का कार्य करेंगे;

(13) जाति, लिंग, धर्म, उम्र, विकलांगता, राष्ट्रीय मूल या अन्य ऐसे कारकों के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे ;

(14) यदि किसी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के पास ऐसी सूचना हो जो कंपनी के निर्णय लेने से संबंधित हो या अन्यथा आलोचनात्मक हो तो उसे समुचित तरीके और ठीक समय पर बोर्ड को सूचित करेंगे ;

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

(15) बोर्ड के अन्य सदस्यों , वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों एवं कंपनी से जुडे अन्य सदस्यों के साथ सम्मान, गरिमा, निष्पक्षता और शिष्टापूर्ण व्यवहार करेंगे ;

(16) वे कंपनी की प्रतिष्ठा बढाने और बनाए रखने के लिए कार्य करेंगे ;

(17) वे ऐसा कोई व्यक्तव्य नहीं देंगे, जिससे सरकार या निगम की किसी नीति या कार्य की आलोचना की गई हो या जिससे निगम और जनता, जिसमें सभी हितधारक शामिल है, के संबंधों पर बुरा प्रभाव पड सकता है।

इसके अलावा, इस खंड में ऐसा कोई विवरण अथवा विचार जो किसी निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु द्वारा उसकी इस कार्यालय क्षमता अथवा उसे सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत दिया गया है जो पूरी तरह से सत्य पर आधारित नहीं है और जो गोपनीय प्रवृति का भी नहीं है, को इस खंड में शामिल नहीं किया जाएगा।

(18) ऐसी समितियां, जिस पर कार्य करना एवं बोर्ड की बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना आरंभ करना।

उत्पीड़न और राजनीतिक गुटनिरपेक्षता से संबंधित आचरण एनएचपीसी की आचरण, अनुशासन और अपील नियमावली के अंतर्गत आते हैं।

4(क) प्रतिज्ञा एवं कार्य व्यवहार

सभी निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक निम्नलिखित प्रयास करेंगे:

(i) क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में सत्यनिष्ठा और पारदर्शिता लाने का सतत प्रयास करेंगे।

(ii) जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए सतत प्रयास करेंगे।

(iii) कंपनी की समृद्धि और प्रतिष्ठा के प्रति सतर्क रहे और कार्य करेंगे।

(iv) संगठन को गरिमा बनाए रखना और कंपनी के हितधारकों को मूल्य आधारित सेवाएं प्रदान करेंगे, अपने कर्त्तव्यों का सावधानी से और बिना किसी भय या पक्षपात के पालन करेंगे।

4(ख) विशिष्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियां

(i) एनएचपीसी लिमिटेड के मिशन, विजन और मूल्य, के साथ प्रत्येक दिन आगे बढना जो निम्नानुसार हैं। कंपनी के मिशन, विजन, उद्देश्य और प्रतिबद्धताओं का विवरण कंपनी के नागरिक चार्टर में दिया गया है, जो कंपनी की वेबसाइट www.nhpcindia.com पर उपलब्ध है।

नैतिक मूल्य

- उत्कृष्टता प्राप्त करने का उत्साह और परिवर्तन की अभिलाषा
- सभी मामलों में सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता
- प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान और संभावित क्षमता के प्रति आदर भाव

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

- प्रतिबद्धता का दृढ़ता से अनुपालन
- प्रतिक्रिया की गति सुनिश्चित करना
- शिक्षण, सृजनात्मकता और टीम वर्क को बढावा देना
- एनएचपीसी के प्रति निष्ठा और गौरव का भाव

4(ख) (ii) व्यावसायिक कार्य की प्रक्रिया और उत्पाद दोनों में उच्च गुणवत्ता, प्रभावशीलता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करना :-

यह संभव है कि उत्कृष्टता, किसी भी व्यावसायिक का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। अत: प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यावसायिक कार्य में उच्च गुणवत्ता, प्रभावकारिता और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

4(ख) (iii) व्यावसायिक सक्षमता की प्राप्ति और उसे बनाए रखना

उत्कृष्टता ऐसे कार्मिकों पर निर्भर करती है जो व्यावसायिक क्षमता को प्राप्त करने और उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते है। अत: सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे क्षमता के समुचित स्तर के मानक तय करने में अपना योगदान दें और उन मानकों को प्राप्त करने में सतत प्रयासरत रहें ।

4(ख) (iv) समुचित व्यावसायिक समीक्षा स्वीकार करना और उपलब्ध कराना

गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक कार्य व्यावसायिक समीक्षा और टिप्पणियों पर निर्भर करता है। जब कभी उचित हो, एकल सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिक अपने सहयोगियों की समीक्षा मांगेंगे और उसका उपयोग करेंगे तथा उनके कार्य की आलोचनात्मक समीक्षा भी उपलब्ध कराएंगे।

4(ख) (v) कार्यशील जीवन की गुणवत्ता बढाने के लिए कार्मिकों और संसाधनों की व्यवस्था करना

संगठनात्मक नेतृत्व करने वाले लोगों की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि वे अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अनुकूल कार्य और कारोबार का वातावरण तैयार करें ताकि वे अपना कार्य सर्वोत्म तरीके से कर सकें। निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मिक, सभी कर्मचारियों की मानवीय प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे और कर्मचारियों को सभी आवश्यक सहायता और सहयोग देकर उनके व्यावसायिक विकास को प्रोत्साहित करेंगे और उसे सहयोग देंगे, इस प्रकार कार्य की गुणवत्ता बढाई जा सकेगी।

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

4(ख) (vi) ईमानदार बनें और प्रलोभन से बचें

निदेशक मंडल के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अपने परिवार के सदस्यों और अन्य संबद्ध लोगों के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई व्यक्तिगत शुल्क, कमीशन या किसी अन्य रूप में पारिश्रमिक नहीं मांगेंगे, जो कंपनी के सत्यवहार से उत्पन्न होता हो। इसमें कीमती उपहार या अन्य लाभ भी शामिल है, जो संगठन या किसी एजेंसी आदि को संविदा देने के लिए कारोबार को प्रभावित करने हेतु समय-समय पर दिया जा सकता है।

4(ख) (vii) कारपोरेट अनुशासन का अनुपालन

कंपनी के अंतर्गत संप्रेषण निर्बाध गति से किया जाता है और कार्मिक सभी स्तरों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के समय वे विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए भी स्वतंत्र है लेकिन जब चर्चा समाप्त हो जाती है और आम सहमति से कोई नीति तय कर दी जाती है तो सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इसका सख्ती से पालन और कार्यान्वयन करें, भले ही किसी मामले में कोई व्यक्तिगत रूप से उससे सहमत हो या नहीं। कुछ मामलों में नीतियां कार्य करने के लिए दिशा-निर्देश का कार्य करती है और कुछ मामलों में इन्हें कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है कि इनसे क्रियाकलाप को बाधित किया जा सके। सभी को चाहिए कि वे इस अंतर को समझें, इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें इसका पालन करना क्या जरूरी है।

4(ख) (viii) ऐसा आचरण करें जिससे कंपनी में विश्वास परिलक्षित हो

सभी कार्मिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे ड्यूटी के दौरान और ड्यूटी के बाद इस प्रकार का आचरण करें जिससे कंपनी की साख परिलक्षित होती हो। उनके व्यक्तिगत रवैये और व्यवहार को समग्र प्रभाव से ही कंपनी की साख बनती है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि वे संगठन के अंदर और आम जनता में कैसे विचार व्यक्त करते है।

4(ख) (ix) कंपनी के हितधारकों के प्रति उत्तरदायी बनें

जिन लोगों की हम सेवा करते है, वे हमारे ग्राहक है जिनके बिना कंपनी का कारोबार नहीं चलेगा, हितधारक, जिनका कंपनी के कारोबार में महत्वपूर्ण शेयर होता है, कर्मचारी जिनका सभी क्रियाकलापों में निहित स्वार्थ होता है, विक्रेता, जो ठीक समय पर सेवा देने के लिए कंपनी को सहयोग देते है और समाज को जिसके प्रति अपने कार्यों के माध्यम से कंपनी के उत्तरदायी होती है, वे सभी कंपनी के हितधारक है। अत: सभी को हमेशा यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि वे कंपनी के हितधारकों के प्रति उत्तरदायी है।

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

4(ख) (x) कारोबार संबंधी जोखिमों की पहचान करें, उन्हें कम करें और उनका प्रबंधन करें

कंपनी के जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का अनुपालन करना प्रत्येक कार्मिक की जिम्मेदारी है जिससे ऐसे कारोबार संबंधी जोखिमों को अभिनिर्धारित किया जाता है जो कंपनी के कार्यों या प्रचालन क्षेत्र के आस-पास होते हैं और ऐसे जोखिमों का प्रबंधन करने की कंपनी की व्यापक प्रक्रिया में सहयोग देना भी उनकी जिम्मेदारी है ताकि कंपनी अपने व्यापक व्यापार उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।

5. स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के अनुसार आचार संहिता का अनुपालन करना भी अपेक्षित है।

6. प्रकटीकरण

6.1 किन्ही ऐतिहासिक कारणों से हितों के विरोध के मामलों के बावजूद इच्छुक बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा कंपनी को पर्याप्त तथा पूर्ण प्रकटीकरण देना चाहिए। प्रत्येक बोर्ड सदस्य के लिए ऐसे किसी हित का पूर्ण प्रकटीकरण करना आवश्यक है जिसमें बोर्ड का सदस्य अथवा उसके वर्तमान परिवार और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अथवा उसके वर्तमान परिवार जिसमें उसके माता-पिता, जीवनसाथी तथा बच्चे शामिल हैं, का हित किसी ऐसी कंपनी या फर्म के साथ जुड़ा हो जो कंपनी के एक आपूर्तिकर्ता, ग्राहक, या वितरक है या कंपनी के साथ उसके अन्य कोई व्यापार कारोबार है।

6.2 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के संबंध में बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों के अनुसार क्रमशः बोर्ड/अध्यक्ष को प्रकटीकरण देना होगा।

6.3 यदि कोई बोर्ड सदस्य या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक तत्संबंधी अपेक्षित प्रकटीकरण को प्रदर्शित करने में विफल होता है अथवा कंपनी को स्वयं बोर्ड के सदस्य या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा प्रकट किए जाने हेतु अपेक्षित हितों के विरोध के मामले की जानकारी प्राप्त होती है, तो कंपनी उस मामले पर एक गंभीर मत अपनाएगी और बोर्ड सदस्य या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के प्रति उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार करेगी।

7. अन्य निदेशक पद

7.1 जब तक कि बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमति न दी जाए, बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक किसी अन्य कंपनी में निदेशक अथवा किसी ऐसी फर्म में भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर सकते जो कंपनी के प्रतिस्पर्धी व्यापार में नियोजित है अथवा जिसके कंपनी के साथ व्यापारिक संबंध है। यह खंड अंशकालिक निदेशकों पर लागू नहीं होता है।

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर, अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

7.2 पूर्णकालिक निदेशक और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक सरकार द्वारा अन्यथा अनुमोदित किए जाने के अतिरिक्त कंपनी के निदेशक पद से हटने की तिथि के 2 वर्ष के भीतर किसी ऐसी भारतीय अथवा विदेशी फर्म या कंपनी(1) एनएचपीसी के पास प्रबंधन नियंत्रण वाली संयुक्त उद्यम कंपनियां और (2) एनएचपीसी की सहायक/अनुषंगी कंपनी के अलावा) अथवा जिसके साथ कंपनी के व्यापार संबंध रहें हों के अलावा में कोई परामर्शी या प्रशासनिक नियुक्ति या पद को स्वीकार नहीं करेंगे, जिसके कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धी हित हों।

8. इनसाइडर ट्रेडिंग

प्रत्येक बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कंपनी की प्रतिभूतियों के साथ कारोबार करते समय "नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदारों और आंतरिक लोगों द्वारा व्यापार को विनियमित करने, निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता और अप्रकाशित कीमत संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए प्रथाओं और प्रक्रियाओं की संहिता" का अनुपालन करेंगे।

कोई बोर्ड सदस्य, वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक और उनके परिवार के सदस्य कंपनी के बारे में जानकारी जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और जो आंतरिक जानकारी है, तक पहुंचकर और स्वामित्व से कोई लाभ प्राप्त करने या किसी भी लाभ को प्राप्त करवाने में सहायता नहीं करेंगे। वे सभी महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंगे। अप्रकाशित महत्वपूर्ण संवेदनशील जानकारी कंपनी के भीतर केवल उन लोगों को प्रकट की जाएगी जिन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए इस सूचना की आवश्यकता है।

9. जन प्रतिनिधित्व एवं सूचना की गोपनीयता

9.1 कंपनी जनता और इसके हितधारकों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं का सम्मान करती है। मीडिया, वित्तीय समुदाय, कर्मचारियों तथा हितबद्धों जैसे लोगों के क्षेत्रों में कंपनी के क्रियाकलाप के संबंध में प्रकट की जानेवाली सूचनाओं के लिए सार्वजनिक रूप से उपस्थित होने के लिए कंपनी का प्रतिनिधित्व केवल कुछ विशिष्ट प्राधिकृत अधिकारियों/ वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा ही किया जाएगा।

9.2 कंपनी के व्यापार, उसके ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में कोई जानकारी जिस पर निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की पहुंच है अथवा उनके पास उपलब्ध है, उसे विशेषाधिकार वाली तथा गोपनीयता समझा जाएगा और उसे किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि (1) बोर्ड द्वारा प्राधिकृत न किया जाए, अथवा (2) प्रकटीकरण के समय वह सार्वजनिक क्षेत्र में न हो, अथवा (3) उसे लागू कानूनों के अनुसार प्रकट किया जाना अपेक्षित न हो।

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

10. नियामक अनुपालन

बोर्ड का प्रत्येक सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक अपने व्यापार के संचालन में सभी लागू कानूनों, नियमों तथा विनियमों का, अक्षरस: तथा वास्तविक रूप दोनों में, पालन उसके संचालन वाले सभी क्षेत्रों में करेगा। यदि लागू कानूनों तथा विनियमों में निर्धारित नैतिक एवं व्यावसायिक मानक उस संहिता से कम हैं तो ऐसी स्थिति में संहिता के मानक लागू होंगे।

11. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण

(i) सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता से संबंधित यह सिद्धांत मौलिक मानवाधिकारों की रक्षा करने और सभी संस्कृतियों की विविधता का सम्मान करने के दायित्व की पुष्टि करता है। हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि हमारे प्रयासों के उत्पाद सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीकों से उपयोग किए जाएंगे, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों से बचाएंगे एवं दूसरों का कल्याण करेंगे। एक सुरक्षित सामाजिक वातावरण के अलावा, मानव कल्याण में एक सुरक्षित प्राकृतिक वातावरण भी शामिल है।

(ii) अत:, बोर्ड के सभी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक, जो कंपनी के उत्पादों के डिजाइन, विकास, निर्माण और प्रचार के लिए जवाबदेह हैं, मानव जीवन और पर्यावरण की संरक्षा और सुरक्षा के लिए विधिक और नैतिक जिम्मेदारी दोनों के प्रति सतर्क रहना चाहिए और दूसरों को भी जागरूक करना चाहिए।

12. परिसंपत्तियों की सुरक्षा

बोर्ड के सदस्य या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक व्यक्तिगत लाभ अथवा अन्यथा के लिए कंपनी की परिसंपत्तियों का दुरूपयोग नहीं करेंगे जिसमें उपकरण तथा मशीनरी, प्रणालियां, सुविधाएं, सामग्रियां, संसाधन जैसी मूर्त परिसंपत्तियां और साथ ही साथ स्वामित्व वाली जानकारी, ग्राहकों तथा आपूर्तिकर्ताओं के साथ संबंध आदि जैसी अमूर्त परिसंपत्तियां शामिल हैं और वे उनका उपयोग उस व्यापार के संचालन के प्रयोजन हेतु ही करेंगे जिनके लिए उन्हें विधिवत प्राधिकृत किया गया है।

13. संहिता में संशोधन

इस संहिता के प्रावधानों में कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर संशोधन एवं परिवर्तन किया जा सकता है और ऐसे सभी संशोधन एवं परिवर्तन उसमें उल्लिखित तिथि से प्रभावी होंगे।

14. संहिता को वेबसाइट पर रखा जाना

लागू सेबी विनियमन और डीपीई सीजी दिशानिर्देशों के अनुसार, यह संहिता और तत्संबंधी कोई भी संशोधन कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा।

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

15. आचार संहिता का प्रवर्तन

बोर्ड का प्रत्येक सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक संहिता का पूर्ण अनुपालन हेतु उत्तरदायी होगा।

16. इस संहिता के गैर-अनुपालन के परिणाम

16.1 अंशकालिक निदेशकों द्वारा इस संहिता के उल्लघंन के मामले में बोर्ड द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई, जो आवश्यक समझी जाए, की जाएगी।

16.2 पूर्णकालिक निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा इस संहिता के उल्लघंन के मामले में सीडीए नियमावली के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

17. जहाँ स्पष्टीकरण की माँग हो

आचार सहिंता से संबंधित बोर्ड के किसी भी सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को सपष्टीकरण की आवश्यकता हो वह निदेशक (कार्मिक)/ कंपनी सचिव/ निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से नामित किसी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

18. उल्लंघन की रिपोर्टिंग

संहिता के अंतर्गत उल्लंघनों की रिपोर्टिंग के लिए व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। व्हिसल ब्लोअर नीति कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर, अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

परिशिष्ट-I

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु
व्यापार आचरण एवं आचार सहिंता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-2(77)

'संबंधी' का अर्थ किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति का संबंधी तभी, और केवल तभी माना जाएगा, जब –

(क) वे अविभाजित हिंदू परिवार के सदस्य हों, अथवा

(ख) वे पति तथा पत्नी हों, अथवा

(ग) कंपनी नियम 2014 (निर्वचन विवरण का स्पष्टीकरण) के नियम 4 के अनुसार उनसे एक की दूसरे से रिश्ता हो -

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

कंपनी नियमावली 2014 (परिभाषा विवरण का स्पष्टीकरण) के नियम 4

संबंधियों की सूची

1. पिता (सौतेले पिता सहित)
2. माता (सौतेली माता सहित)
3. पुत्र (सौतेले पुत्र सहित)
4. पुत्रवधु
5. पुत्री
6. पुत्री का पति
7. भाई (सौतेले भाई सहित)
8. बहन (सौतेली बहन सहित)

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

परिशिष्ट-II

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु
व्यापार आचरण एवं आचार संहिता

वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट

मैं ---------- एतद्द्वारा अपनी श्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार एतद्द्वारा सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूं कि मैंने 31 मार्च, 20..... को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु व्यापार आचरण एवं आचार संहिता के प्रावधानों का पूर्णत: अनुपालन किया है।

हस्ताक्षर : ----------
नाम : ----------
पदनाम : ----------
तिथि : ----------
स्थान : ----------

* प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक प्रस्तुत किया जाए।

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

परिशिष्ट-III

एनएचपीसी लिमिटेड

निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों
हेतु
व्यापार आचरण एवं आचार संहिता

स्वीकृति फार्म

मैं ---------- कंपनी की 'निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों हेतु व्यापार आचरण एवं आचार संहिता ' ('यह कोड') को प्राप्त किया तथा उसे पढ लिया है । मैंने इस संहिता में समाहित प्रावधानों तथा नीतियों को समझ लिया है और मैं इस संहिता के अनुपालन हेतु सहमत हूं।

हस्ताक्षर : ----------
नाम : ----------
पदनाम : ----------
तिथि : ----------
स्थान : ----------

नोट: अंग्रेजी या हिन्दी के अर्थ मे कोई विसंगति होने पर,अंग्रेजी का अर्थ मान्य होगा।

संस्करण नियंत्रण तालिका

प्रभावी तिथि	संस्करण	संशोधन
20.08.2008	1.0	कोड को मूल रूप से निदेशक मंडल की 294वीं बैठक में अनुमोदन के साथ अपनाया गया था
14.12.2011	2.0	निदेशक मंडल द्वारा अपनी 340वीं बैठक में संशोधित।
20.11.2014	3.0	निदेशक मंडल द्वारा अपनी 378वीं बैठक में संशोधित।
10.11.2022	4.0	निदेशक मंडल द्वारा अपनी 462वीं बैठक में संशोधित।
18.01.2025	5.0	निदेशक मंडल द्वारा अपनी 488वीं बैठक में संशोधित।